जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
रोवर्स/रेंजर्स

पत्रांक :

दिनांक : 31.01.2019

रोवर्स/रेंजर्स, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के कार्यक्रम एवं व्यय-विवरण पर विचार करने के लिए एक आवश्यक बैठक दिनांक 31.01.2019 को अपराह्न 02.30 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित उपस्थित थे -

1.	माननीय कुलपति जी	-	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश सिंह	-	वित्त अधिकारी
3.	श्री संजय कुमार	-	कुलसचिव
4.	डॉ0 अशोक कुमार सिंह कुँवर सिंह पी0जी0 कॉलेज, बलिया	-	विश्वविद्यालय संयोजक

निर्णय : बैठक में रोवर्स/रेंजर्स कार्यक्रम के संदर्भ में अधोलिखित निर्णय किया गया -

1. रोवर्स/रेंजर्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालय स्तर पर 24-24 छात्र/छात्राओं का चयन करके रोवर्स/रेंजर्स दल का गठन किया जायेगा। दल का पंजीकरण जनपद में स्थित स्काउट गाइड एसोशियेसन के सचिव अथवा जिला संगठन कमिश्नर से सम्पर्क करके करा लिया जाय। एक रोवर्स/रेंजर्स दल का पंजीकरण शुल्क प्रदेश अंश रु0 329.00 तथा जिला अंश रु0 79.00 देय होगा। जिन महाविद्यालयों के दलों का पहले से संस्था में पंजीकरण है वह प्रतिवर्ष दल का नवीनीकरण संस्था के माध्यम से करायेगें। नवीन व्यवस्था के अनुसार नवीनीकरण शुल्क प्रदेश अंश रु0 304.00 जिला अंश रु0 70.00 देय होगा। पंजीकरण/नवीनीकरण के उपरान्त प्रत्येक महाविद्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह रोवर्स/रेंजर्स कोष का सदुपयोग रोवर्स/रेंजर्स दल के प्रशिक्षण के लिये करेगें।

2. रोवर्स/रेंजर्स कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र/छात्रा से रु0 30.00 प्रति वर्ष की दर से रोवर्स/रेंजर्स शुल्क लिया जायेगा जिसमें से रु0 20.00 प्रति छात्र/छात्रा की दर से महाविद्यालय के रोवर्स/रेंजर्स कोष में जमा किया जायेगा। शेष रु0 10.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष की दर से विश्वविद्यालय में जमा किया जायेगा।

3. महाविद्यालय के रोवर्स/रेंजर्स कोष से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जायेगा। रोवर्स छात्रों के लिये निर्धारित नेवी ब्लू फूल पैंट, स्टीव ग्रे कलर फूल शर्ट, काला जूता, सफेद मोजा होगा तथा रेंजर्स छात्राओं के लिये नेवी ब्लू सलवार, आसमानी नीला समीज, आसमानी नीला दुपट्टा, काला जूता एवं सफेद मोजा होगा जिसकी व्यवस्था छात्र/छात्राओं द्वारा स्वयं करनी होगी। स्कार्फ, बागेल, बेल्ट, टोपी आदि सज्जा की व्यवस्था महाविद्यालय कोष से किया जायेगा।

4. प्रत्येक महाविद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स/रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगा। प्रशिक्षण सम्पन्न कराने के लिये जनपद के स्काउट/गाइड संस्था के सचिव अथवा जिला संगठन कमिश्नर से सम्पर्क कर प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जाती है। यदि जनपद स्तर पर प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते है तो प्रादेशिक संगठन कमिश्नर स्काउट, आजमगढ़ से सम्पर्क स्थापित करके प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जाय। प्रशिक्षण शिविर को सम्पन्न कर रहे प्रत्येक प्रशिक्षक को यात्रा भत्ता, आवासीय सुविधा के अतिरिक्त रु0 500.00 प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक दिया जाय। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रत्येक छात्र/छात्रा

Scanned by CamScanner

से प्रवेश प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 75.00 तथा निपुण प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 100.00 स्काउट/गाइड संस्था को देय होगा। न्यूनतम तीन दिन के प्रशिक्षण पर प्रत्येक छात्र/छात्रा को रोवर्स/रेंजर्स का प्रवेश प्रमाण-पत्र दिया जाता है। प्रवेश प्रमाण-पत्र के पश्चात् अगले सत्र में न्यूनतम पाँच दिन के प्रशिक्षण पर निपुण प्रमाण-पत्र दिया जाता है। निपुण प्रमाण-पत्र के आधार पर राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी0एड0 के प्रवेश हेतु 10 अंक अधिभार तथा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक कक्षा में प्रवेश हेतु 10 अंक अधिभार के रूप में देय होता है।

5. रोवर्स/रेंजर्स कार्यक्रमों को सम्पादित करने वाले रोवर्स/रेंजर्स लीडर्स (प्राध्यापक/प्राध्यापिकाओं) को 1500 से अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालय में कार्यरत रोवर्स/रेंजर्स लीडर्स को रु0 400.00 (2005) के स्थान पर रु0 600.00 प्रतिमाह मानदेय, एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को रु0 2000.00 के स्थान पर रु0 3000.00 तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रु0 1500.00 के स्थान पर रु0 2250.00 प्रति वर्ष पारिश्रमिक/मानदेय देय होगा। जिस महाविद्यालय में छात्र संख्या 1500 से कम है वहाँ धन की उपलब्धता के आधार पर रोवर्स/रेंजर्स लीडर्स को रु0 450.00 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा सकता है।

5. प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर रोवर्स/रेंजर्स समागम का आयोजन जनवरी/फरवरी माह में किया जायेगा। प्रत्येक महाविद्यालय अपनी 24 सदस्यीय टीम की सहभागिता उक्त समागम में करा सकता है। जिसकी सूचना समय-समय पर विश्वविद्यालयीय संयोजक द्वारा महाविद्यालय को दी जायेगी। विश्वविद्यालयीय समागम में रोवर्स/रेंजर्स दल को प्रतिभाग कराने हेतु व्यय (यात्रा भत्ता एवं अन्य) महाविद्यालय द्वारा देय होगा। विश्वविद्यालय समागम में विजेता चयनित टीम राज्य स्तर पर आयोजित समागम में सहभागिता करती है। राज्य स्तर पर समागम में प्रतिभाग कराने हेतु व्यय (यात्रा भत्ता एवं अन्य) विश्वविद्यालय द्वारा उक्त चयनित टीम के प्रभारी को देय होगा। विश्वविद्यालयीय एवं राज्य स्तरीय समागमों में निःशुल्क भोजन एवं आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धा में प्रथम चयनित रोवर्स/रेंजर्स को विजेता टीम में सम्मिलित करके राज्य स्तर के समागम में प्रतिभाग कराया जाता है।

7. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने वाले जनपद, एक से अधिक होने की स्थिति में जनपदीय संयोजक नियुक्त किया जायेगा तथा रोवर्स/रेंजर्स का जनपदीय समागम आयोजित कर चयनित विजेता एवं उपविजेता टीम को विश्वविद्यालयीय समागम में प्रतिभाग कराया जायेगा।

8. बी0एड0 के स्काउट/गाइड के परिचयात्मक प्रशिक्षण शिविर में हिमालय बुड बैज की योग्यता से नीचे के व्यक्ति को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त न किया जाय। प्रशिक्षण की पूर्व सूचना सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड) तथा विश्वविद्यालय संयोजक को प्रेषित की जाय।

9. समागम में वही दल प्रतिभाग करेगा जिसका उ0प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड, प्रादेशिक मुख्यालय, लखनऊ से पंजीकरण होगा। समागम स्थल पर वर्तमान सत्र की पंजीकरण/नवीनीकरण की रसीद प्रस्तुत करना होगा।

10. सभी प्रतिभागियों का रोवर्स/रेंजर्स के निर्धारित गणवेश में होना अनिवार्य है। रोवर्स/रेंजर्स का प्रत्येक दल अधिकतम 24-24 का होगा।

11. पंजीकरण के समय प्रतिभागियों की सूची प्रतिभागी का नाम, पिता का नाम, कक्षा हिन्दी में टंकित कराकर, सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य से प्रति हस्ताक्षरित कराकर जमा करना होगा। प्रत्येक प्रतिभागी के पास सम्बन्धित महाविद्यालय का वर्तमान सत्र का परिचय पत्र होना आवश्यक है।

12. प्रत्येक दल अपने बैनर के साथ समागम में प्रतिभाग करेगा।

13. प्रत्येक दल मौसम के अनुकूल बिस्तर एवं कपड़ा तथा दैनिक उपभोग की वस्तुयें जैसे - टार्च, मग, माचिस, मोमबत्ती, दरी, बाल्टी अपने साथ अनिवार्य रूप से लायें। प्रभारी अपने कमरें हेतु अपना ताला-चाबी लेकर आयें।

Scanned by CamScanner

14. बैठक में विश्वविद्यालयीय रोवर्स/रेंजर्स समागम आयोजनार्थ व्यय का मानक अधोलिखित प्रकार निर्धारित किया गया –

क्र0स0	विवरण	धनराशि
1.	समागम स्थल की तैयारी पर व्यय	5000.00
2.	पत्राचार कार्यक्रम विरणिका, निमंत्रण–पत्र, प्रमाण–पत्रों की छपाई पर व्यय	10000.00
3.	स्टेशनरी, बैनर, स्कार्फ, कैप, बोगल आदि	5000.00
4.	उद्घाटन एवं समापन के लिये अल्पाहार	10000.00
5.	आवासीय व्यवस्था (टेंट, जेनरेटर, विद्युत व्यवस्था, टेबुल, कुर्सी, काउण्टर, चारपाई, गद्दा, रजाई, (प्रभारियों एवं संगठन के अधिकारी, निर्णायकों के लिये) दरी आदि	20000.00
6.	विशेषज्ञों (स्काउट / गाइड) का मानदेय+यात्रा भत्ता। (मानदेय रु0 500.00 प्रतिदिन की दर से तथा यात्रा भत्ता रेल ए0सी0 तृतीय श्रेणी या दो पहिया वालन से रु0 5.00 प्रति कि0मी0 की दर से देय 1000(मानदेय)+500 यात्रा व्यय	9000.00
7.	प्रतिभागियों के पुरस्कार सामग्री पर व्यय	15000.00
8.	..... लंच–प्रतिभागियों एवं अन्य टीम लीडर्स (8 रोवर्स / 8रेंजर्स) टीम सम्मिलित होने पर अधिकतम 480 प्रतिभागी x 2 दिन x 110 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	(480 X110X 2) = 105600
9.	अन्य विविध व्यय	5000.00
10.	विशेषज्ञों एवं महाविद्यालय के कर्मचारी जो समागम को सफल बनाने में सहयोग करेगें उनके भोजन जलपान पर व्यय (अधिकतम 125 लोगों पर) 110.00 प्रतिदिन	(125 x 2x 110) = 27500
	योग–	**212100.00**

विश्वविद्यालयीय समागम में प्रतिभागियों की संख्या के 140 से घटने/बढ़ने की स्थिति में रु0 110.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से ही भुगतान किया जायेगा। अर्थात अधिकतम रू0 105600.00 की सीमा प्रतिभागी संख्या बढ़ने पर ही बढ़ायी जा सकेगी।

(कुलपति) (वित्त अधिकारी) (कुलसचिव) (विश्वविद्यालयीय संयोजक)

Scanned by CamScanner